कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र – I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0--1 / श0स्था0नि0 / 5.5 (बु0म0) दिनांक--

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, डुमरा
जिला– सीतामढी

महाशय,

नगर पंचायत, डुमरा के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 673 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14718/410 दिनांक-- 30.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी

तनवीर हसन 30/01/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-- 673 / 17--18

भाग-।

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	नगर पंचायत डुमरा (सीतामढी)
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी
3	लेखा की अवधि:	2014--15 से 2016--17 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	24.07.17 से 29.07.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री राजीव कुमार --2, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री प्राण रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार --1, वरीय लेखापरीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह अप्रैल 2014 से माह मार्च 2017 के लेखाओं की नमूना जॉच की गई।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन- नगर पंचायत डुमरा (सीतामढी) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग--II(क)- शुन्य
भाग--II(ख)

कंडिका:--1 बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के कर्मी के वेतन का भुगतान किया जाना राशि-- रू. 8.14 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा--41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अध्यधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे--

(1) (ख) नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में :--

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,
(iii) नगर अभियंता,
(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगर सचिव और
(v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा-- (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(4) उपधारा-- (2) के उपबंधों के अध्यधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा-- (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय-- (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हो, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जाएगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जाएगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है--

39 पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते-- (1) धारा-- 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे